कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Web Site-www.muzaffarpur.biharurban.in, E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Fax No.-0621-2214506

पत्रांक-- 64   दिनांक-- 10 / 02 / 2022

प्रेषक,

विवेक रंजन मैत्रेय भा०प्र०से०,
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

श्री / श्रीमती मुनेश्वर प्रसाद सिंह c/o नंदेश्वर प्रसाद वि० आकांक्षा रियल स्टेट
पिता / पति द्वारा [illegible] प्रा० लि०
ग्राम + मुहल्ला अहियापुर,
वार्ड सं०– 02 थाना 402,
मुजफ्फरपुर।

विषय :– प्लान केश संख्या– 02-25 2021 L+U+G+12 आवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण का नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शा, मुहल्ला– अहियापुर, वार्ड सं०– 02, खाता– 242-263 खेसरा– 268-274-277 बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007, बिहार भवन उपविधि 2014 के 315, 316, 317, 414 एवं 419 के अंतर्गत निम्न शर्त्त पर स्वीकृति दी जाती है :–

1. बिहार भवन उपविधि 2014 के अनुसार प्रस्तावित भवन के चारों तरफ सेटबैक छोड़ा जाएगा।
2. भवन निर्माण के समय जल निकासी के प्रावधान नक्शा के अनुसार किया जाना है एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के नियमानुसार नगर निगम के नाले से भवन मालिक को ही अपने नाला को जोड़ना होगा।
3. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जलापूर्त्ति, सेप्टिक टैंक एवं भविष्य में सिवरेज सिस्टम बिल्डिंग बायलॉज के तहत किया जाएगा।
4. निगम में समर्पित भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र नक्शा आदि में त्रुटि एवं गड़बड़ी की जवाबदेही स्वयं आवेदक का होगा।
5. जिन अभियंता द्वारा नक्शा बनाया गया है, भवन निर्माण के दौरान उसके सुपरविजन में कार्य कराया जाएगा के समय–समय पर निगम को प्रतिवेदन देना होगा एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर निगम को सूचना देंगे तथा उनका प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. भवन के सामने सरकारी सड़क एवं नाला का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण उपरान्त कम्पलीशन प्रमाण पत्र अभियंता के माध्यम से देना होगा।
7. भवन स्वामी को भवन उपविधि के अनुसार भवन के अन्दर की पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत नक्शे का एक प्रति कार्य स्थल पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय–समय उप उसका जांच किया जा सके।
9. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निगम को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त कार्य में बिहार भवन उपविधि 2014 के उल्लंघन पर सरकारी दण्ड के भागी भवन स्वामी होगा।

इस शर्त पर नक्शा स्वीकृत किया जाता है, यह स्वीकृति अगले तीन वर्ष के लिये वैद्य होगा। किसी प्रकार के उल्लंघन/शिकायत होने पर स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया जाएगा एवं सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह०/

(विवेक रंजन मैत्रेय)
नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक–......64......मु०न०नि०, मुज०। दिनांक–......10/......02/2029

प्रतिलिपिः– श्री/श्रीमती ....आर्किटेक्ट/अभियंता को अगले आदेश दिया जाता है कि आपके द्वारा बनाये गये नक्शे के अनुसार भवन निर्माण के उल्लंघन होने पर सूचना देंगे, समय–समय पर पर्यवेक्षण प्रतिवेदन भी निगम को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिलिपिः– संबंधित थाना प्रभारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

(विवेक रंजन मैत्रेय)
नगर आयुक्त
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

D:\MANOJ KUMAR FILE\manoj letter\General Section Letter(1) 07.09.2020